शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक-15 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 6-13 अप्रैल 2026 मूल्य पांच रूपये

फीस बढ़ोतरी और कोर्स बंद करने के फैसलों में उलझा विश्वविद्यालय

'पाताल लोक' से बाहर निकलने पर उठे सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, जो कभी प्रदेश की उच्च शिक्षा का मजबूत स्तंभ माना जाता था, आज अपने ही फैसलों के कारण सवालों के घेरे में है। कुलपति प्रो. महावीर सिंह द्वारा कार्यभार संभालते ही विश्वविद्यालय को 'पाताल लोक' से बाहर निकालने का दावा किया गया था, लेकिन करीब दस महीने बाद हालात उस दिशा में बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले टयूशन फीस में 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि की और अब 14 कोर्सो के प्रवेश परीक्षा शुल्क में 40 से 60 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर दी है। बीए का शुल्क 500 से बढ़ाकर 800 रुपये, बीकॉम 700 से 1000 और बीएससी 800 से 1000 रुपये कर दिया गया है। कुछ कोर्सो में फीस लगभग दोगुनी हो गयी है, जबकि पत्रकारिता जैसे कोर्सो में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही री-अपीयर और प्रति पेपर शुल्क में भी 100 से 300 रुपये तक का इजाफा किया गया है।

यह निर्णय उस समय और भी विवादित हो जाता है जब कुलपति स्वयं यह कह चुके हैं कि विश्वविद्यालय गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों के लिये है। ऐसे में फीस बढ़ोतरी सीधे तौर पर उसी वर्ग पर अतिरिक्त बोझ डालती नजर आ रही है।

इसी के समानांतर विश्वविद्यालय ने उन कोर्सो को बंद करने का फैसला लिया है, जिनमें 50 प्रतिशत से कम दाखिले हैं या छात्रों की संख्या 15 से कम है। प्रशासन इसे संसाधनों के बेहतर उपयोग का कदम बता रहा है, लेकिन शिक्षा विशेषज्ञ इसे समस्या का सतही समाधान मान रहे हैं। उनका कहना है कि कम दाखिलों के पीछे बुनियादी ढांचे की कमी, सीमित संसाधन और कमजोर अकादमिक वातावरण मुख्य कारण हैं, न कि विषयों की उपयोगिता।

सीएजी रिपोर्ट में भी विश्वविद्यालय में 70 से 80 प्रतिशत उपकरणों की कमी का उल्लेख किया गया है। कई विभागों के पास अपना भवन तक नहीं है और कक्षाएं अन्य विभागों में संचालित हो रही हैं। ऐसे में छात्रों की संख्या में गिरावट होना स्वाभाविक माना जा रहा है।

वहीं, देश के अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र और सोशल वर्क जैसे विषयों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ये विषय अभी भी स्वतंत्र पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छात्रों को अपने विभागों के लिये बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन तक करना पड़ रहा है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और वर्तमान राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार द्वारा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। उनका मानना है कि इससे वित्तीय संकट दूर होगा और संस्थान को बेहतर संसाधन मिल सकेंगे।

हालांकि, अब तक के कार्यकाल में विश्वविद्यालय में न तो शोध के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि सामने आयी है और न ही पुराने विभागों में कोई ठोस सुधार देखने को मिला है। सामने आये हैं तो केवल फीस बढ़ोतरी के फैसले और कम दाखिले वाले कोर्सो को बंद करने के आदेश।

ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल फीस बढ़ाकर और कोर्स बंद करके हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 'पाताल लोक' से बाहर निकाला जा सकता है, या इसके लिए गहन और दूरदर्शी सुधारों की आवश्यकता है। फिलहाल, विश्वविद्यालय का भविष्य इन्हीं सवालों के जवाब पर टिका हुआ नजर आ रहा है।

भाजपा ने जनविरोधी फैसलों के खिलाफ राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन

शिमला/शैल। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मुलाकात कर प्रदेश सरकार के दो निर्णयों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कमला नेहरू अस्पताल, शिमला की गायनी सेवाओं को आईजीएमसी में स्थानांतरित करने का निर्णय अव्यवहारिक है और इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल लगभग 100 वर्षो से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि आईजीएमसी पहले से ही क्षमता से अधिक भार झेल रहा है, ऐसे में 300 बेड वाले अस्पताल की सेवाओं का स्थानांतरण स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अस्पताल के उन्नयन पर लगभग 20 करोड़ रूपये से अधिक सार्वजनिक धन खर्च किया गया है, जिसे इस फैसले से अप्रभावी किया जा रहा है।

इसके साथ ही भाजपा ने शिमला शहर की प्रतिबंधित सड़कों पर पास शुल्क में भारी वृद्धि का विरोध किया। प्रस्तावित बदलाव के तहत प्रोसेसिंग फीस 100 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये, पास शुल्क 2,000 रूपये से बढ़ाकर 10,000 रूपये और अन्य शुल्कों में भी कई गुना वृद्धि का आरोप लगाया गया।

भाजपा नेताओं ने कहा कि यह निर्णय आम जनता, व्यापारियों और कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगा और इसे 'जनविरोधी' कदम बताया।

उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि इन दोनों मामलों में हस्तक्षेप कर सरकार को निर्देश दिए जाएं कि अस्पताल सेवाएं यथावत रखी जाएं और शुल्क वृद्धि को तुरंत रोका जाए। भाजपा ने चेतावनी दी कि यदि निर्णय वापस नहीं लिये गए तो वे जनआंदोलन तेज करेंगे।

राज्यपाल के दौरे में धर्मसंघ महाविद्यालय की आध्यात्मिक भूमिका पर जोर

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने सिविल लाइंस स्थित धर्मसंघ महाविद्यालय का दौरा कर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण में संस्थानों की अहम भूमिका

को रेखांकित किया। इस दौरान उन्होंने पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिसर में गौ सेवा में भाग लिया।

राज्यपाल ने युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें अनुशासन, करुणा और सेवा भाव अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज के बदलते सामाजिक परिदृश्य में आध्यात्मिक संस्थान भारतीय संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण के प्रमुख संवाहक बनकर उभर रहे हैं।

सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वामी करपात्री जी महाराज को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके विचारों से प्रेरित होकर ही इस महाविद्यालय की स्थापना हुई। उन्होंने कहा कि संस्थान वैदिक ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए समाज के प्रति जिम्मेदार और सांस्कृतिक रूप से जागरूक युवाओं का निर्माण कर रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि सच्ची शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें चरित्र निर्माण और सांस्कृतिक समझ का भी समावेश होना चाहिए। उन्होंने गौ सेवा के महत्व को रेखांकित करते हुए छात्रों को इससे जुड़ने का आहवान किया।

उन्होंने महाविद्यालय के समग्र विकास के प्रयासों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि यहां के विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इस अवसर पर ट्रस्ट अध्यक्ष महावीर प्रसाद जयपुरिया ने राज्यपाल का स्वागत किया, जबकि आईआईएम इंदौर के निदेशक डॉ. हिमांशु राय सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने 51वें राष्ट्रीय नैदानिक मनोविज्ञान सम्मेलन का किया शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित 51वें राष्ट्रीय नैदानिक मनोविज्ञान सम्मेलन

(एनएसीआईएसीपी-2026) का शुभारम्भ किया। 'मानसिक स्वास्थ्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जबकि अध्यक्षता कुलपति प्रो. राणा पी. सिंह ने की।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, प्रभावी और व्यक्तिगत बनाने की दिशा में क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से रोगों की पहचान और उपचार प्रक्रिया अधिक तेज और सटीक हुई है, जिससे जरूरतमंद लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाना संभव हो रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तनाव, अवसाद और चिंता जैसे मनोवैज्ञानिक विकार तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में एआई आधारित तकनीकें उम्मीद की नई किरण बनकर उभर रही हैं। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप्लिकेशन व्यक्ति की भावनाओं और व्यवहार के आधार पर मानसिक समस्याओं की प्रारंभिक पहचान करने में सक्षम हो चुके हैं।

राज्यपाल ने भारत सरकार द्वारा संचालित 2टेली-मानस जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पहल दूरदराज क्षेत्रों तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को केवल चिकित्सा का विषय न मानते हुए इसे सामाजिक जिम्मेदारी बताया और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए व्यापक जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि एआई का उपयोग न्यूरोफीडबैक, ब्रेन इमेजिंग और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में मानसिक विकारों की बेहतर समझ और उपचार के नए विकल्प विकसित करने में सहायक हो रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एआई मानवीय संवेदनशीलता और सहानुभूति का विकल्प नहीं बन सकता।

राज्यपाल ने एआई के उपयोग में डेटा गोपनीयता, नैतिकता और सुरक्षा जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई और कहा कि सही दिशा में उपयोग होने पर यह तकनीक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में परिवर्तनकारी साबित हो सकती है।

इस अवसर पर सम्मेलन संयोजक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. आनंद पी. सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया। कार्यक्रम में डॉ. मनोरंजन सहाय सहित कई विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए और सम्मेलन के महत्व पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया।

सुंदरनगर में आयुष्मान आरोग्य शिविर का शुभारम्भ टीबी उन्मूलन पर जोर

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट, डैहर (सुंदरनगर) में आयोजित आयुष्मान आरोग्य शिविर का शुभारम्भ करते हुए टीबी-मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने का आहवान किया। यह शिविर विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किया गया।

राज्यपाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में टीबी के मामलों में कमी आई है। वर्ष 2022 में 15,760 मामलों से घटकर 2025 में 14,653 हो गए हैं, जो सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 1.49 लाख उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों की जांच एक्स-रे के माध्यम से की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। शिविरों में हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनों और आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाओं के माध्यम से निःशुल्क जांच की जा रही है और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों के जरिए दूरदराज क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।

राज्यपाल ने 'टीबी-मुक्त ग्राम पंचायत' पहल के तहत मिली सफलता का उल्लेख करते हुए बताया कि 2023 में 731, 2024 में 823 और 2025 में 1,052 ग्राम पंचायतों को टीबी-मुक्त घोषित किया जा चुका है। उन्होंने इसे उत्साहजनक उपलब्धि बताते हुए कहा कि 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत 5,176 उच्च जोखिम वाले गांवों और शहरी वार्डों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग का कार्य नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने सभी से 'निक्षय मित्र' बनकर टीबी मरीजों को गोद लेने और उनके उपचार व पोषण में सहयोग देने की अपील की।

राज्यपाल ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय द्वारा 75 टीबी मरीजों को गोद लेने की सराहना करते हुए इसे सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। इस दौरान उन्होंने टीबी उन्मूलन अभियान के दूसरे चरण का लोगो भी जारी किया, मरीजों को पोषण किट वितरित की और टीबी चैंपियंस को सम्मानित किया।

कार्यक्रम में डॉ. निशांत, सत्य प्रकाश शर्मा, डॉ. दिनेश ठाकुर, डॉ. लाल सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भी अपने विचार रखे।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज, उपायुक्त अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने सुंदरनगर में बीबीएमबी ड्रेजर कॉम्प्लेक्स का किया निरीक्षण

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने सुंदरनगर स्थित भाखड़ा

ब्यास प्रबंधन बोर्ड के ड्रेजर कॉम्प्लेक्स का दौरा कर जल निकासी और गाद (सिल्ट) प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें बोर्ड की कार्यप्रणाली और संचालन तंत्र की विस्तृत जानकारी दी गई।

राज्यपाल ने जल निकासी की तकनीकी व्यवस्थाओं और जलाशयों में जमा गाद के प्रबंधन एवं निस्तारण से जुड़ी प्रक्रियाओं में विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि जलाशयों की क्षमता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रभावी गाद प्रबंधन बेहद आवश्यक है।

अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने जल प्रवाह को सुचारू बनाए रखने, गाद संचयन की समस्या के समाधान और बुनियादी ढांचे के बेहतर रख-रखाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीकों को अपनाने पर बल दिया और बोर्ड के प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज, मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार तथा बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की भेंट

शिमला/शैल। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुख्य प्रतिनिधि ल्हाकपा त्सेरिंग के नेतृत्व में एक तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल

कविन्द्र गुप्ता से भेंट की।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश और तिब्बती समुदाय के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा कि दलाई लामा की धर्मशाला में उपस्थिति ने प्रदेश को वैश्विक पहचान दिलाई है। उन्होंने दलाई लामा के जीवन को करुणा, अहिंसा और शांति का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं।

उन्होंने प्रदेश के सामाजिक, सांस्तिक और आर्थिक विकास में तिब्बती समुदाय के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर ल्हाकपा त्सेरिंग ने राज्यपाल को सम्मानित किया, जबकि लोक भवन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की बैठक आयोग के अध्यक्ष डॉ. एस. पी. कत्याल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें खाद्य सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर व्यापक चर्चा हुई।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष ने नव-नियुक्त सदस्यों का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आयोग की वैधानिक जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को उनके अधिकार पारदर्शी और कुशल तरीके से सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

बैठक में संबंधित विभागों के साथ समन्वय बढ़ाने, जिला स्तर के अधिकारियों के साथ सहभागिता मजबूत करने और निगरानी तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। सदस्यों ने खाद्य सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता जताई।

आयोग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए खाद्यान्न की उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने, क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी बढ़ाने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही नियमित निरीक्षण और लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद को भी जरूरी बताया गया।

बैठक में शिकायतों और अभ्यावेदनों के समयबद्ध निपटान, नियमित अनुश्रवण और जिला शिकायत निवारण अधिकारियों तथा क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। प्रभावी निगरानी के लिए आवधिक रिपोर्टिंग और अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव को भी आवश्यक बताया गया।

इसके अलावा, हितधारकों में अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नियमित समीक्षा बैठकों के आयोजन और रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

बैठक के अंत में अध्यक्ष डॉ. कत्याल ने सदस्यों की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए हिमाचल प्रदेश में खाद्य सुरक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री ने किया राज्य स्तरीय हरोली उत्सव – 2026 का शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य स्तरीय हरोली उत्सव – 2026 का शुभारंभ किया। सोमभद्रा नदी तट स्थित हरोली मैदान, रोड़ा में 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित

इस उत्सव की शुरुआत पारंपरिक रीति – रिवाजों के साथ हुई, जहां मुख्यमंत्री ने माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर की पावन ज्योति की पूजा – अर्चना की।

उत्सव के दौरान पूरे क्षेत्र में आस्था और उल्लास का अद्भुत माहौल देखने को मिला। पारंपरिक पगड़ी में सजे मुख्यमंत्री शोभायात्रा में शामिल हुए, जिसमें ढोल – नगाड़ों की थाप, बैंड – बाजों की गूंज और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने वातावरण को जीवंत बना दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने इस आयोजन को जन – उत्सव का रूप दे दिया।

मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और कार्यक्रम स्थल पर दीप प्रज्वलित कर औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्सव की स्मारिका का भी विमोचन किया गया।

मुख्यमंत्री ने हरोली उत्सव को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए उपमुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह उत्सव जन – जन का उत्सव है, जो बैसाखी की खुशियों के साथ क्षेत्र में ऊर्जा और एकता का संचार करता है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के साथ – साथ सांस्कृतिक समृद्धि को भी समान महत्व दे रही है।

पहली सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल ने अपने लोकप्रिय गीतों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले अभिज्ञा बैंड की प्रस्तुति ने भी लोगों का भरपूर मनोरंजन किया।

इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उत्सव के आगामी दिनों में भी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे हरोली क्षेत्र में उत्सव का माहौल लगातार बना रहेगा।

कम्प्यूटर शिक्षक महासंघ ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात, स्थायी नीति की उठाई मांग

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री से ओकओवर में प्रदेश कम्प्यूटर शिक्षक

महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर अपनी विभिन्न मांगों को उठाया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महासंघ की अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने किया।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपते हुए कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने और सेवाओं के नियमितीकरण की मांग रखी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कार्यरत कम्प्यूटर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और उचित निर्णय लिया जाएगा।

इस अवसर पर महासंघ के मंडी जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, ऊना जिला अध्यक्ष हरदेव सिंह सहित अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

पीजी सीटों में बढ़ोतरी से स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों को

बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी दिशा में मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों में बढ़ोतरी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में 57, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंडी में 29, डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में 32, पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में 33, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 67 और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में 96 सीटें बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि मरीजों को बेहतर इलाज भी मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने नए मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को देखते हुए उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस निर्णय से पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। साथ ही असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों की कमी को दूर करने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में डाइग्नोसिस सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही है और इस वर्ष नवंबर तक नर्सो तथा तकनीकी स्टाफ के सभी रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, प्रदेश के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षो में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा और हिमाचल प्रदेश में हेल्थ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा के दूसरे चरण के निर्माण कार्य पर 192 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक में धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा डॉ. राकेश शर्मा सहित सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

शिमला में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज़, खेलों से युवाओं को नई दिशा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चौंपियनशिप – 2026 का शुभारम्भ किया। 11 अप्रैल तक चलने

वाली इस प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, मालद्वीप, बांग्लादेश और नेपाल सहित पांच देशों के 100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस स्तर की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार हो रहा है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ाते हैं, बल्कि अनुशासन, समर्पण और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते हैं। खेल गतिविधियां युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा प्रदान करती हैं।

इस अवसर पर हरीश जनारथा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल शिवम प्रताप सिंह, एशियन टेबल टेनिस यूनियन के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शेखर गौतम, हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष टी.पी. चोपड़ा और महासचिव अधीश राणा सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

सीबीएसई पैटर्न लागू हाने से सरकारी स्कूलों में बढ़ा नामांकन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पैटर्न लागू करने की पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। राज्य के 151 स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से लागू किए गए इस मॉडल के बाद छात्र नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस उत्साहजनक रुझान को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी चयनित स्कूलों में मेडिकल, न न–मेडिकल और कॉमर्स तीनों संकाय शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कई स्कूलों में नामांकन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। चंबा के किलाड़ स्कूल में 90.24 प्रतिशत और मंडी के जंजैहली में 90.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। किन्नौर के रिकांगपिओ में 50.50 प्रतिशत, शिमला के नेरवा में 52.22 प्रतिशत और घनाहट्टी में 26.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा लाहौल – स्पीति के काजा, शिमला के ठियोग, सिरमौर के नौहराधार और चोपाल में भी छात्र संख्या में उल्लेखनीय इजाफा देखा गया है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवश्यक संसाधन और अधोसंरचना तैयार की जाए, ताकि छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी शहरी स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद शिक्षा क्षेत्र में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा गुणवत्ता के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति में सुधार किया है। साथ ही राज्य ने पूर्ण साक्षरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल सरकारी स्कूलों की साख बढ़ाएगी, बल्कि निजी स्कूलों की ओर हो रहे पलायन को भी रोकने में मदद करेगी और प्रदेश के शिक्षा तंत्र को नई मजबूती प्रदान करेगी।

हिमकेयर की पैकेज भुगतान प्रणाली हुई पारदर्शी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों के तहत हिमकेयर योजना के पैकेज भुगतान तंत्र में अहम बदलाव किए गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य योजना को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है।

बैठक में बताया गया कि अब सरकारी अस्पतालों के क्लेम का भुगतान उपभोग्य सामग्रियों और वास्तविक उपचार लागत या निर्धारित पैकेज दरों जो भी कम हो के आधार पर किया जाएगा। साथ ही, अस्पतालों को क्लेम के साथ वास्तविक खर्च के बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण शुल्क, बैड चार्ज, नर्सिंग व बोर्डिंग शुल्क को क्लेम में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, चिकित्सक और परामर्शदाता की फीस, एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थियेटर शुल्क, शल्य उपकरणों की लागत, दवाइयां और मरीज के भोजन से जुड़े खर्च भी प्रतिपूर्ति दावों का हिस्सा नहीं होंगे।

सरकार का मानना है कि पहले इन मदों के लिए अलग – अलग माध्यमों से भुगतान होने के कारण एक ही पैकेज पर दोहरी वित्तीय व्यवस्था बन रही थी। अब इस युक्तिकरण के बाद इन खर्चों को सीधे अस्पतालों के बजट में शामिल किया जाएगा, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

वर्तमान में हिमकेयर योजना के अंतर्गत लगभग 4.33 लाख परिवार पंजीकृत हैं, जिन्हें प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम समयबद्ध तरीके से लागू किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और इस दिशा में और भी प्रभावी पहल की जाएगी।

यदि स्वतंत्रता में गलतियां करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है तो वह बेकार है।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण का नया युग

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में समय-समय पर ऐसे निर्णय लिये गये हैं जिन्होंने न केवल राजनीति की दिशा बदली, बल्कि समाज की सोच और संरचना को भी नई ऊर्जा दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐसा ही एक ऐतिहासिक कदम है, जिसने भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को नये आयाम दिये हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाला यह अधिनियम केवल एक विधायी प्रावधान नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को सशक्त करने वाला एक दूरगामी परिवर्तन है।

भारत जैसे विविधता भरे देश में महिलाओं की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। परिवार से लेकर समाज और राष्ट्र निर्माण तक, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता और नेतृत्व का परिचय दिया है। फिर भी, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में उनका प्रतिनिधित्व लंबे समय तक अपेक्षाकृत कम रहा। यह असंतुलन लोकतंत्र की उस मूल भावना के विपरीत था, जिसमें प्रत्येक वर्ग को समान अवसर और समान भागीदारी का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी ऐतिहासिक असंतुलन को दूर करने का प्रयास है।

इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें नीति-निर्माण की सक्रिय भागीदार के रूप में स्थापित करता है। जब महिलाएं सत्ता और निर्णय की प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं, तो नीतियों में संवेदनशीलता, व्यावहारिकता और सामाजिक सरोकार अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी के अनुभवों ने यह सिद्ध किया है कि महिला नेतृत्व वाले क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक विकास के संकेतक बेहतर होते हैं। यही अनुभव राष्ट्रीय राजनीति में भी विस्तार पाने की क्षमता रखते हैं।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का इतिहास भी प्रेरणादायक रहा है, लेकिन सीमित अवसरों के कारण उनका प्रभाव अपेक्षाकृत कम दिखाई देता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन स्वतंत्र भारत की राजनीति में उनकी भागीदारी उतनी व्यापक नहीं हो पाई, जितनी होनी चाहिए थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस ऐतिहासिक अंतर को भरने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

आज के समय में भारत में महिला मतदाताओं की संख्या लगभग आधी है और कई चुनावों में महिलाओं की मतदान भागीदारी पुरुषों से अधिक भी रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं न केवल जागरूक हैं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भी हैं। इसके बावजूद संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व सीमित होना एक गंभीर असंतुलन को दर्शाता है। इस अधिनियम के माध्यम से इस अंतर को कम करने का प्रयास किया गया है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था अधिक समावेशी बन सके।

आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी यह अधिनियम दूरगामी प्रभाव रखता है। जब महिलाएं नेतृत्व में आती हैं, तो वे केवल अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, बल्कि पूरे समाज के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती हैं। इससे नीति निर्माण में संतुलन आता है और विकास योजनाएं अधिक प्रभावी बनती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बाल कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महिला नेतृत्व विशेष रूप से प्रभावी साबित हुआ है।

हालांकि, इस अधिनियम के क्रियान्वयन में समयबद्धता और राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आरक्षण को केवल घोषणा तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे वास्तविक राजनीतिक प्रक्रिया में प्रभावी रूप से लागू करना आवश्यक है। इसके लिए राजनीतिक दलों को भी अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना होगा।

यह भी सच है कि किसी भी बड़े सुधार को पूरी तरह सफल होने में समय लगता है। सामाजिक मानसिकता में बदलाव, राजनीतिक संरचना में समायोजन और प्रशासनिक तैयारी-ये सभी पहलू इस अधिनियम की सफलता को निर्धारित करेंगे। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह कदम सही दिशा में उठाया गया एक मजबूत प्रयास है।

मध्य-पूर्व गतिरोध : वैश्विक कूटनीतिक बदलाव में छिपा है अमेरिका-ईरान वार्ता का भविष्य

गौतम चौधरी

हाल ही में जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा के दौरान आयोजित 'इस्लामाबाद वार्ता' एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास के रूप में देखी जा रही थी, जिसका उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करना था, लेकिन वह बेनतीजा समाप्त हो गया। दोनों पक्षों के कूटनीज्ञों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाया और अंत में पाकिस्तानी पहल की सराहना की। लगभग 21 घंटे चली चर्चाओं के बावजूद दोनों पक्ष किसी ठोस समझौते पर नहीं पहुंच सके। वेंस ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ने अपनी 'रेड लाइन' सामने रख दी हैं, लेकिन ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इस वार्ता के बाद ईरानी पक्ष ने भी अमेरिका पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं।

इस वार्ता में सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सामने आया। अमेरिका ने यह मांग दोहराई कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करने की स्पष्ट और ठोस गारंटी दे। दूसरी ओर, ईरान ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि वह पहले से ही इस बात पर कायम है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।

ईरान का यह भी कहना था कि वार्ता में प्रगति तभी संभव है जब अमेरिका 'अच्छे विश्वास' का प्रदर्शन करे, जिसमें आर्थिक प्रतिबंधों में राहत और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों तक उसकी पहुंच बहाल करना शामिल है। ईरानी पक्ष के अनुसार, अमेरिकी शर्तें अत्यधिक कठोर और हस्तक्षेपकारी हैं, जो समझौते की राह में बाधा बन रही हैं।

यह गतिरोध पूरी तरह अप्रत्याशित भी नहीं कहा जा सकता है। बता दें कि 2015 में ईरान परमाणु समझौता 2015 (JCPOA) तक पहुंचने में लगभग दो वर्षों की लंबी और जटिल प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी थी। तब जाकर ईरान समझौते के लिए माना था। उस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई प्रतिबंध स्वीकार किए थे और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षणों की अनुमति दी थी, बदले में उसे आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिली थी।

ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्ता भी है, जो उसे शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक के उपयोग की अनुमति देता है, बशर्ते वह परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता निभाए और निरीक्षणों को स्वीकार करे। ईरान बार-बार यह दावा करता रहा है कि वह उस समझौते का पालन कर रहा है।

वार्ता में केवल परमाणु कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और सामरिक मुद्दे भी प्रमुख रहे। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और उसकी रणनीतिक भूमिका को लेकर मतभेद उभरकर सामने आए। यह जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर किसी भी प्रकार का तनाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रभाव डालता रहा है।

इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की मेजबानी की दोनों पक्षों ने सराहना की। यह इस बात का संकेत देता है कि भले ही वार्ता में ठोस परिणाम न निकला हो, लेकिन संवाद का मंच बनाए रखना भी कूटनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

वर्तमान परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद गहरे और बहुस्तरीय हैं। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा चिंताएं, ये सभी कारक किसी भी त्वरित समझौते को कठिन और जटिल बनाते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की वार्ताएं अक्सर लंबी प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, जहां प्रारंभिक दौर में गतिरोध सामान्य बात है। यदि दोनों पक्ष संवाद बनाए रखते हैं और चरणबद्ध तरीके से विश्वास बहाली के उपाय अपनाते हैं, तो भविष्य में किसी समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इस बैठक के बाद ईरानी कूटनीतिकों ने भारत, चीन और रूस को भी इस दिशा में पहल करने को कहा है। ईरानी नेताओं के इस बयान के बाद कूटनीतिक परिदृश्य में बदलाव के साफ संकेत दिखने लगे हैं। ईरान ने किसी यूरोपीय देश के बारे में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है लेकिन ब्रिक्स देशों की चर्चा दुनिया के बदल रहे शक्ति संतुलन के संकेत हैं। हालांकि इस मामले में उक्त तीनों ब्रिक्स देशों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है लेकिन आने वाले समय में इन तीनों देशों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

इस्लामाबाद वार्ता का निष्कर्ष भले ही निराशाजनक रहा हो, लेकिन यह अमेरिका-ईरान संबंधों में जारी जटिलताओं और कूटनीतिक चुनौतियों को रेखांकित करता है। इतिहास यह बताता है कि ऐसे विवादों का समाधान त्वरित नहीं होता, बल्कि धैर्य, निरंतर संवाद और पारस्परिक समझ के माध्यम से ही संभव हो पाता है।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र जनता की सेवा में निहित है राज्य की शक्ति

गौतम चौधरी

भारतीय चिंतन परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विशेष महत्व है। इनमें अर्थ को अत्यंत केंद्रीय स्थान प्राप्त है, क्योंकि बिना अर्थ के न तो धर्म का पालन संभव है और न ही काम की पूर्ति। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में यह विचार स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होता है कि अर्थ ही राज्य, समाज और व्यक्ति के अस्तित्व का मूल आधार है। कौटिल्य के अनुसार, प्रत्येक वस्तु और सेवा का एक मूल्य होता है और वही अर्थ है। यह केवल धन या संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें श्रम, उत्पादन, सेवा और संसाधन सभी सम्मिलित हैं। इस प्रकार अर्थ जीवन के प्रत्येक आयाम में विद्यमान है।

अर्थशास्त्र में यह स्पष्ट किया गया है कि धर्म और काम दोनों अर्थ पर आधारित हैं। यदि व्यक्ति या राज्य के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, तो वह न तो धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सकता है और न ही जीवन की आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। इसलिए अर्थ को प्राथमिकता देना आवश्यक है, किंतु यह नैतिक सीमाओं के भीतर होना चाहिए।

कौटिल्य ने दूसरे के अर्थ के अपहरण को गंभीर अपराध माना है। उनका मानना है कि ''किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या संसाधन को हानि पहुँचाना, केवल उसका ही नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन का भी नाश करता है। जब यह प्रवृत्ति बढ़ती है, तो यह अंततः स्वयं के पतन का कारण बनती है। इस प्रकार, अर्थ की सुरक्षा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है।''

कौटिल्य के अनुसार, राज्य की शक्ति उसकी जनता और उनके संसाधनों (अन्न, सेवा, उत्पादन) पर निर्भर करती है। यदि राज्य ''जनता के संसाधनों का शोषण करता है, या उनके अधिकारों का हनन करता है, तो यह राज्य के पतन का कारण बनता है।'' इस संदर्भ में कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि राजा का कर्तव्य है कि वह, ''जनता की रक्षा करे, उनके संसाधनों का संरक्षण करे और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करे।''

अंततः कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' केवल आर्थिक नीति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक समग्र शासन-दर्शन प्रस्तुत करता है। इसमें अर्थ को जीवन और राज्य का आधार मानते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि ''अर्थ का संरक्षण ही धर्म और काम की स्थिरता सुनिश्चित करता है और जनता के संसाधनों की रक्षा ही राज्य की दीर्घकालिक स्थिरता का आधार है।'' अतः यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य का यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है-दूसरे के अर्थ का नाश, अंततः अपने ही विनाश का कारण बनता है।

हर वस्तु का मूल्य है, हर सेवा का मूल्य है और जिसका भी मूल्य है, वही अर्थ है। यह साधारण-सा दिखने वाला सिद्धांत वास्तव में समाज और राज्य की स्थिरता का मूलाधार है। भारतीय चिंतन में अर्थ को केवल धन या संपत्ति नहीं, बल्कि जीवन की संपूर्ण उत्पादकता, श्रम और संसाधनों का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि आचार्य कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में अर्थ को धर्म और काम-दोनों पुरुषार्थों का आधार बताया गया है।

भारत के अंतिम छोर पर स्थित स्वास्थ्य एवं कल्याण इकोसिस्टम को मजबूत बनाना

– श्री प्रतापराव जाधव –
आयुष राज्यमंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

अब जबकि भारत सभी के लिए न्यायसंगत, समावेशी और समग्र स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हमें एक मौलिक प्रश्न पूछना होगा हम अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति तक सही समय पर गुणवत्तापूर्ण देखभाल पहुंचना कैसे सुनिश्चित करें?

इसका जवाब केवल बुनियादी ढांचे के विस्तार या उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग में ही नहीं, बल्कि उन प्रणालियों को मजबूत करने में भी निहित है जो स्वाभाविक रूप से सुलभ, सस्ती और समुदायों के भरोसे पर खरे उतरते हों। इस संदर्भ में, होम्योपैथी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के साथ-साथ एक मौन लेकिन शक्तिशाली ताकत के रूप में उभर रही है और जमीनी स्तर पर समग्र स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे को बदल रही है।

हम यह दिखाई दे रहा है कि होम्योपैथी कैसे जनजातीय क्षेत्रों, ग्रामीण इलाकों और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी वाले शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण कमियों को दूर कर रही है। इसके प्रभाव का पता केवल व्यापकता से ही नहीं, बल्कि सबसे अधिक जरूरत वाले स्थानों – यानी अंतिम छोर-तक पहुंचने की क्षमता से भी चल रहा है।

अब जबकि हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाने वाला 'विश्व होम्योपैथी दिवस' करीब है, यह इस बात पर विचार करने का एक सही मौका है कि यह प्रणाली केवल व्यक्तिगत कल्याण ही नहीं बल्कि समग्र कल्याण का एक ऐसा मॉडल बनाने में भी योगदान दे रही है जो किफायती, पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से समावेशी हो। इस वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी है।

18वीं शताब्दी में सैमुअल हैनिमैन द्वारा विकसित और 19वीं शताब्दी में भारत लायी गयी, होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर यानी समान से समान का उपचार के सिद्धांत पर आधारित है। दशकों से एक समग्र और रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए, यह भारत की बहुआयामी स्वास्थ्य एवं कल्याण प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गई है। जमीनी स्तर पर होम्योपैथी की सबसे बड़ी खूबी इसकी निरंतर देखभाल सुनिश्चित करने की क्षमता है। कई पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवा टुकड़ों में बिखरी हुई नहीं होती, बल्कि निरंतर और रिश्तों से सचालित होती है। होम्योपैथी का व्यक्ति-केन्द्रित उपचार का दृष्टिकोण, खासतौर पर पुरानी बीमारियों, बार-बार होने वाले संक्रमणों और जीवनशैली संबंधी विकारों के प्रबंधन के क्रम में चिकित्सक और रोगी के बीच दीर्घकालिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। यह निरंतरता उपचार के प्रति रोगी के समर्पण और समग्र स्वास्थ्य से जुड़े नतीजों में उल्लेखनीय सुधार करती है।

आज भारत में 290 से अधिक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हैं। साथ ही, देशभर में चिकित्सकों का एक विशाल नेटवर्क भी उपलब्ध है। फिर भी, होम्योपैथी के असली प्रभावों को संस्थानों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर-झारखंड के जनजातीय जिलों, छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश की दूरदराज की बस्तियों में-बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। वहां एक अकेला चिकित्सक भी सामुदायिक स्वास्थ्य से जुड़े नतीजों में बदलाव ला सकता है।

होम्योपैथी की प्रमुख खूबियों में से एक इसकी सरलता भी है। दवाइयां किफायती होती हैं, इन्हें लाना-ले जाना आसान होता है और इनके भंडारण के लिए किसी जटिल भंडारण संरचना की जरूरत ही नहीं होती है। कमजोर आपूर्ति श्रृंखलाओं और सीमित स्वास्थ्य सेवा कर्मियों वाले इलाकों में, होम्योपैथी की ये विशेषताएं अनमोल हो जाती हैं।

जनजातीय समुदायों, जो हमारी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और अक्सर बीमारियों का बेमेल बोझ झेलते हैं, के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सांस्कृतिक रूप से भी अनुकूल होना चाहिए। होम्योपैथी का सौम्य और गैर-आक्रामक रवैया पारंपरिक उपचार पद्धतियों के अनुरूप है, जिससे यह अपेक्षाकृत अधिक स्वीकार्य और सुलभ हो जाता है।

इसी क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने होम्योपैथी को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवाओं साथ जोड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत, 12,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) स्थापित किए गए हैं, जो सामुदायिक स्तर पर होम्योपैथी सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होम्योपैथी भारत में गैर-संक्रामक रोगों से निपटने में भी योगदान दे रही है। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) ने मधुमेह, हृदय रोग और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों से निपटने से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों में होम्योपैथी को जोड़ा है। यह प्राथमिक देखभाल से परे इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है।

आपूर्ति के नए-नए मॉडल भी उतने ही उत्साहजनक हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के अंतर्गत सेवाओं के एक ही स्थान पर उपलब्ध होने की सुविधा ने पहुंच और विश्वास दोनों को बेहतर बनाया है। चलंत चिकित्सा इकाइयां जहां दूरदराज के इलाकों तक पहुंच रही हैं, वहीं सामुदायिक सहायता से जुड़ी पहलों और महामारी से निपटने से संबंधित कार्यक्रमों ने विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य परिदृश्यों में होम्योपैथी की अनुकूलता को प्रदर्शित किया है। शायद सबसे कारगर मॉडल बुनियादी होम्योपैथी में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का है। सही ज्ञान और रेफरल सिस्टम के सहयोग से, ये कार्यकर्ता न्यूनतम लागत पर स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार कर सकते हैं। स्वास्थ्य रक्षा जैसे कार्यक्रम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीसीआरएच) द्वारा संचालित संपर्क संबंधी पहलों ने पहले ही दिखा दिया है कि समुदाय-आधारित दृष्टिकोण सार्थक नतीजे दे सकते हैं।

भविष्य को देखते हुए, सतत स्वास्थ्य एवं कल्याण के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत, पुरानी बीमारियों का बढ़ता बोझ और रोगाणुरोधी प्रतिरोध जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने हेतु ऐसे समाधानों की जरूरत है जो न केवल कारगर हों बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से व्यवहारिक भी हों। होम्योपैथी इस दृष्टिकोण के साथ स्वाभाविक रूप से मेल खाती है। इसके कम लागत वाले उपचार परिवारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर वित्तीय बोझ को कम करते हैं।

जबकि इसका न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी कार्यप्रणालियों का समर्थन करता है। अब हमारा ध्यान इन प्रयासों को व्यापक स्तर पर कार्यान्वित करने पर होना चाहिए। इन प्रयासों में कम सुविधा वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण को मजबूत करना, दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना, गहन अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देना और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना शामिल है।

विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब भौगोलिक स्थिति या सामाजिक-आर्थिक हैसियत की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिक तक पहुंचेगी। होम्योपैथी, अपने गहरे सामुदायिक जुड़ाव और टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ, इस लक्ष्य को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की असली पहचान उसकी अत्याधुनिक सुविधाओं में नहीं, बल्कि हाशिए पर रहने वाले लोगों की सेवा करने की उसकी क्षमता में निहित है। जब एक सरल और किफायती उपाय किसी दूरदराज के गांव में एक परिवार को राहत पहुंचाता है, तो यह इस सशक्त विचार को पुष्टकरता है-कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अधिक समावेशी, अधिक मानवीय और वास्तव में सार्वभौमिक होती जा रही हैं।

नए साल में नई आशा: एक भारत की भावना

– श्री सी. पी. राधाकृष्णन

मुझे अत्यंत हर्ष है कि मैं भारत और विश्वभर के सभी लोगों को बैसाखी, रोंगाली बिहू, महा बिषुबा पना संक्रांति, पोइला बोइशाख, विषु और तमिल पुथांडु के अवसर पर अपनी पारंपरिक नववर्ष की शुभकामनाएँ देता हूं, जो 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को दर्शाते हैं। ये सभी शुभ अवसर सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएं।

चिथिरई का महीना कृषि की तैयारियों का समय होता है। किसान अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। चूंकि हमारे लोग मानते हैं कि मेहनत से ही प्रगति होती है, इसलिए वे श्रम की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। पूरे देश में, हमें इसी तरह के उत्सव देखने को मिलते हैं, जो भारत में एकता और साझा संस्कृति के उदाहरण हैं।

उत्तर भारत में, विशेषकर पंजाब में, लोग बैसाखी को फसल उत्सव के रूप में मनाते हैं। दक्षिण में, केरल में विशु मनाया जाता है, जहां शुभ वस्तुओं (कानी) को देखना एक महत्वपूर्ण रिवाज है। असम में लोग बिहू मनाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में पोइला बोइशाख को उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इसी प्रकार मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में भी लोग इस अवधि को विभिन्न पारंपरिक रूपों में नववर्ष के रूप में मनाते हैं।

उत्तराखंड के हरिद्वार में देशभर से श्रद्धालु गंगा में पवित्र स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं, जो इस अवसर की पवित्रता को दर्शाता है। तेलुगु भाषी लोगों ने हाल ही में अपना नववर्ष उगादी के रूप में मनाया, जबकि मराठी और कोंकणी समुदाय अपना नववर्ष गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं। हम एक प्राचीन सभ्यता से संबंधित हैं, जिसका प्रमाण हमारे पूर्वजों के वैज्ञानिक ज्ञान से मिलता है। ब्रह्मांड के प्रति उनकी सटीक समझ इन नववर्ष उत्सवों में झलकती है।

इसी प्रकार, तमिल नववर्ष एक अत्यंत विशेष अवसर है, जो हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का उत्सव मनाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो परंपरा, परिवार, आध्यात्मिकता और अनुशासित जीवन शैली को एक साथ जोड़ता है। यह एक नई शुरुआत का संकेत देता है और हमें पिछलेअनुभवों से सीख लेते हुए नई आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

आज हम वैश्विक कैलेंडर का पालन करते हैं, लेकिन हमें अपने तमिल कैलेंडर को भी याद रखना चाहिए, जो अपनी विशेषता के कारण केवल दिनों और महीनों को ही नहीं, बल्कि वर्षों को भी नाम देता है। ऐसे कुल 60 वर्ष-नाम होते हैं, और इस वर्ष का नाम पराभव है, जो इस चक्र का 40वां वर्ष है।

'खगोल विज्ञान' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है तारों के नियमों का अध्ययन। तमिल में इसे वाणियल कहा जाता है। हजारों वर्ष पहले ही तमिल विद्वानों ने यह समझ लिया था कि पृथ्वी गोल है और उन्होंने खगोलीय पिंडों की गति तथा उनके प्रभाव का अध्ययन किया था।

प्राचीन तमिल साहित्य, जैसे कि पतिरुपट्टू, ब्रह्मांड की प्रकृति और गति का वर्णन करता है। श्लोकों में बताया गया है कि संसार पाँच तत्वों से बना है और आकाशीय शक्तियों से शासित है। सिरुपनरुपदई जैसी अन्य रचनाएं ग्रहों की गति का उल्लेख करती हैं।

संगम साहित्य में ग्रहों और तारों के संदर्भ मिलते हैं। उदाहरण के लिए, पुराणनरू में शनि को काला (मैम्मीन) बताया गया है। आकाशीय प्रभावों के अध्ययन की परंपरा ''कनियान'' कहलाने वाले विद्वानों से जुड़ी थी। माना जाता है कि कवि कनियान पूंगुंद्रनार ने अपना नाम इसी परंपरा से लिया है। यहां तक कि तोलकापियम जैसे प्राचीन ग्रंथ भी ऐसे विद्वानों को ''अरीवर'' कहते हैं। ''अकनानुरु'' जैसे साहित्य से पता चलता है कि विवाह जैसे शुभ आयोजन उचित तिथियों और समय का चुनाव करके संपन्न किए जाते थे। यह परंपरा आज भी तमिलनाडु में जारी है। चिथिरई के पहले दिन मंदिरों में पंचांग पढ़ा जाता है और लोग इसे सुनने के लिए एकत्रित होते हैं।

पंचांग में पांच तत्व होते हैं: वार (दिन), तिथि, करण, नक्षत्र और योग। इनके आधार पर वर्षा, कृषि और वर्ष से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। हमारे पूर्वज समय को मापने के लिए सौर और चंद्र दोनों प्रणालियों का उपयोग करते थे। आज आधुनिक विज्ञान उन्नत उपकरणों से ग्रहण की गणना करता है, लेकिन पहले भी इन घटनाओं का अध्ययन कर उन्हें सटीक रूप से बताया जाता था।

हमारे पूर्वजों से मिला ज्ञान हमारी धरोहर है। हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। मंदिरों में पंचांग का पाठ सुनना इस परंपरा का सम्मान करने का एक तरीका है। नववर्ष का एक और पहलू यह दिखाता है कि हमारे लोग प्रकृति की समृद्धि का कितना सम्मान करते थे। घरों में फल और फूल जैसी शुभ वस्तुओं को सजाया जाता है और सुबह सबसे पहले उन्हें देखा जाता है।

वसंत ऋतु वह समय है, जब प्रकृति खुद को नया रूप देती है। पेड़-पौधे फिर से हरे-भरे हो जाते हैं और फूल-फल खिलते हैं। प्रकृति के साथ तालमेल में रहने वाले तमिल लोग कणी कणल की परंपरा के जरिए इस समृद्धि को देखकर वर्ष की शुरुआत करते हैं।

इसी तरह, इस दिन बनने वाले पारंपरिक भोजन में सभी स्वाद शामिल होते हैं, यहां तक कि कड़वा भी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों तरह के अनुभव होते हैं, और हमें उन्हें संतुलन के साथ स्वीकार करना चाहिए।

इन त्योहारों में पूरे देश में और दुनिया के उन हिस्सों में भी, जहां भारतीय समुदाय रहते हैं, एक समानता दिखाई देती है। ये उत्सव हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता की याद दिलाते हैं, साथ ही देश की एकता को भी दिखाते हैं। ये हमें मिल-जुलकर रहने की प्रेरणा देते हैं।

मैं युवाओं से आग्रह करता हूँ कि वे नए साल को सकारात्मक सोच, विश्वास और समर्पण के साथ मनाएं और अपने पूर्वजों के दिखाए रास्ते पर चलें। आइए हम देश की प्रगति में योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें।

हमारा भारत हमेशा से अपनी सभ्यता के मूल्यों में एक रहा है और आगे भी एक बना रहेगा। बड़ों के आशीर्वाद से युवा पीढ़ी 'एक भारत' की भावना के साथ आगे बढ़े और 2047 तक 'श्रेष्ठ भारत' और 'विकसित भारत' के निर्माण में सफल हो।

(लेखक भारत के उपराष्ट्रपति हैं)

ऊना में बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास, हिमाचल बनेगा फार्मा हब

मुख्यमंत्री की ऊना जिले को 260 करोड़ की सौगात

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को फार्मास्युटिकल क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिले के पोलियां में बहुप्रतीक्षित बल्क ड्रग पार्क के साइट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर

कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए पंजुआना में 8.28 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले वर्किंग वुमन हॉस्टल की भी आधारशिला रखी, जिसमें 50 महिलाओं के रहने की सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की यह परियोजना हिमाचल को देश के प्रमुख फार्मा निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करेगी और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए भरोसा दिलाया कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी जून में देश की बड़ी फार्मा कंपनियों के साथ एमओयू किए जाएंगे।

1,405 एकड़ में फैली इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 2,071 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें केंद्र सरकार लगभग 996.45 करोड़ रुपये का योगदान देगी। परियोजना को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और इसे निर्धारित पर्यावरण मानकों के तहत लागू किया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति देगी और औद्योगिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगी। जल शक्ति विभाग द्वारा 68.49 करोड़ रुपये की लागत से 15 एमएलडी जल आपूर्ति सहित आवश्यक संरचनाएं विकसित की जा रही हैं।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जानकारी दी कि बिजली से जुड़े 32.76 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं, जबकि भूमि समतलीकरण और अन्य साइट विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। परियोजना के तहत अब तक 1,109 पेड़ों की कटाई निर्धारित नियमों के तहत की जा चुकी है।

इस अत्याधुनिक बल्क ड्रग पार्क में 300 टन प्रति घंटे की क्षमता वाला स्टीम जनरेशन सिस्टम, 5 एमएलडी का कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 50,000 टन वार्षिक क्षमता वाला खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन सिस्टम स्थापित किया जाएगा।

परियोजना से 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये तक का निवेश आकर्षित होने की संभावना है और लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही ऊना एक उभरते औद्योगिक हब के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करेगा।

इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधि, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। यह पहल देश को फार्मा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और एपीआई आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विस्तार की समीक्षा, पाइपलाइन कार्यों में तेजी के निर्देश

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले आर.डी. नजीम ने राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार की प्रगति की समीक्षा करते हुए अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछाने से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। बैठक में राज्य में कार्यरत चार सीजीडी कंपनियों के समक्ष आ रही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सीजीडी नेटवर्क भूमिगत पाइपलाइनों का आपस में जुड़ा तंत्र है, जो घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को सीधे प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराता है। यह एलपीजी की तुलना में अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती विकल्प है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एलपीजी पर निर्भरता कम करने और पाइप्ड नेचुरल गैस की पहुंच बढ़ाने के लिए इस नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। ऊना जिले में लगभग 13 हजार घरों तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिनमें से करीब 6 हजार उपभोक्ता वर्तमान में प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं।

बैठक में यह भी सामने आया कि नेटवर्क विस्तार में भूमि से जुड़ी प्रक्रियाएं और अनुमतियां प्रमुख बाधा बन रही हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने मार्च 2026 में अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम धारा 118 के अंतर्गत भूमि खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब सीजीडी कंपनियां अपने आवेदन सीधे संबंधित निदेशक को प्रस्तुत कर सकेंगी, जिन्हें आगे राजस्व विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि कंपनियों को सरकारी भूमि या संपत्तियों पर कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग को बैंक गारंटी देनी होगी तथा खुदाई और पुनर्स्थापन कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार करने होंगे।

उन्होंने सभी विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिए कि सीजीडी कंपनियों के आवेदनों पर सात दिनों के भीतर आवश्यक अनुमतियां प्रदान की जाएं। तय समय में उत्तर न मिलने की स्थिति में स्वीकृति स्वत: मानी जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए समन्वय बढ़ाने पर बल दिया गया।

प्राकृतिक खेती से इस वर्ष में एक लाख किसान जोड़े जाएंगे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वर्ष 2026 के दौरान राज्य में एक लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पद्धति को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे कम लागत में अधिक लाभ संभव है और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक 2,22,893 किसान एवं बागवान परिवार प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं और यह पहल प्रदेश की 99.3 प्रतिशत पंचायतों तक पहुंच चुकी है। वर्तमान में 38,437 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि दो लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 1,98,000 किसानों को प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है, जबकि देसी गाय के गोबर, गोमूत्र और स्थानीय संसाधनों पर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, फसल विविधीकरण और खेती की लागत में कमी लाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक रूप से उत्पादित फसलों पर देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दे रही है। इस वर्ष प्राकृतिक गेहूं का एमएसपी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का 40 से 50 रुपये, पांगी घाटी के जौ 60 से 80 रुपये और हल्दी 90 से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है।

उन्होंने बताया कि पांगी उपमंडल को राज्य का पहला पूर्णत: प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है और अदरक को भी पहली बार एमएसपी के दायरे में लाया गया है, जिसका मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। इसके अलावा, गाय के दूध का क्रय मूल्य 61 रुपये और भैंस के दूध का 71 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 53.95 प्रतिशत लोग सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 14.70 प्रतिशत है, ऐसे में सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसान हितैषी नीतियां लागू कर रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्का और गेहूं के आटे का विपणन 'हिम' ब्रांड के तहत किया जा रहा है, ताकि किसानों को बेहतर और लाभकारी मूल्य मिल सके।

एचपीवी वैक्सीन को लेकर भ्रम दूर विदेश यात्रा से नहीं जुड़ा कोई नियम

शिमला/शैल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि बेटियों की विदेश यात्रा के लिए एचपीवी वैक्सीन का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होने संबंधी खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि न तो भारत सरकार और न ही किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी किया गया है, जिसमें विदेश यात्रा के लिए एचपीवी टीकाकरण को अनिवार्य बताया गया हो।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एचपीवी टीकाकरण पूरी तरह स्वैच्छिक प्रक्रिया है और यह केवल अभिभावकों की सूचित सहमति के बाद ही दिया जाता है। टीकाकरण से पहले अभिभावकों को इसके लाभ और आवश्यक जानकारी दी जाती है, ताकि वे सही निर्णय ले सकें।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह टीका मुख्य रूप से 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक एचपीवी संक्रमण इस कैंसर का प्रमुख कारण होता है, जबकि यह वैक्सीन इसके जोखिम को काफी हद तक कम करने में प्रभावी साबित हुई है।

प्रवक्ता ने अभिभावकों और आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें और केवल स्वास्थ्य विभाग या अधिकृत स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें।

उन्होंने कहा कि एचपीवी टीकाकरण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए लोग अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा अधिकारी या आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

गेहूं प्रसंस्करण में सख्ती, गुणवत्ता मानकों के पालन पर जोर

शिमला/शैल। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एस.पी. कत्याल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं और आटे के प्रसंस्करण में गुणवत्ता नियंत्रण को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में शिमला, बिलासपुर, सिरमौर और मंडी जिलों के आटा मिल मालिकों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि प्रसंस्करण और पैकेजिंग के दौरान निर्धारित मिलिंग मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए और स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा तय फोर्टिफिकेशन मानको आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12का अनुपालन अनिवार्य रहेगा। फोर्टिफिकेशन प्रीमिक्स के सटीक मिश्रण के लिए माइक्रो-फीडर तकनीक अपनाने को भी प्रोत्साहित किया गया।

पैकेजिंग से जुड़े मुद्दों, जैसे बैग की शेल्फ लाइफ और लेमिनेशन पर भी चर्चा हुई। मिलर्स ने नमी में उतार-चढ़ाव को देखते हुए वजन में अनुमेय सहनशीलता की मांग रखी।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परिवहन दूरी और लागत कम करने के लिए जिलावार तर्कसंगत आवंटन (मैपिंग) किया जाएगा। साथ ही गोदामों में वाहनों की प्लेटफॉर्म तौल सुनिश्चित कर रिसाव रोकने और मात्रा की सटीकता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

मिलर्स को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) गोदामों से निम्न गुणवत्ता या संक्रमित गेहूं को अस्वीकार करने और प्रतिस्थापन के लिए उचित दस्तावेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही खरीद और मिलिंग की समय-सीमा को लेकर नियमित जिलावार रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया।

गुणवत्ता आश्वासन के तहत प्री-डिस्पैच परीक्षण प्रणाली को मजबूत करने और औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, ताकि समयबद्ध और वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग प्रणाली अपनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में मिलर्स ने पैकेजिंग, परिवहन और बिजली लागत से जुड़ी चुनौतियां भी उठाईं, जिनके समाधान पर विचार किया गया।

बैठक में आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जलाशय मछलियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मत्स्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जलाशयों से प्राप्त मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने और रॉयल्टी दर को घटाकर मात्र 1 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट 2026-27 की घोषणाओं के अनुरूप यह पहल मछुआरा समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव मानी जा रही है।

सरकार ने पहली बार जलाशय मछलियों के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम का MSP तय किया है। यदि नीलामी मूल्य इससे कम रहता है, तो राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रति किलोग्राम अधिकतम 20 रुपये तक की सब्सिडी सीधे मछुआरों के खातों में देगी। इससे बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच मछुआरों को आय की सुरक्षा मिल सकेगी।

इसके साथ ही रॉयल्टी दर में भारी कटौती करते हुए इसे 15 प्रतिशत से घटाकर पहले 7.5 प्रतिशत और अब 1 प्रतिशत कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के 6,000 से अधिक जलाशय मछुआरों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनका आर्थिक बोझ काफी कम होगा।

प्रदेश में गोबिंद सागर, पोंग डैम, रंजीत सागर, चमेरा और कोल डैम जैसे प्रमुख जलाशयों में मत्स्य उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। उन्नत फिंगरलिंग्स के स्टॉकिंग और अन्य सुधारात्मक उपायों के चलते उत्पादन वर्ष 2022-23 के 549.35 मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 818.02 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है।

सरकार के अनुसार इन नीतिगत सुधारों से न केवल मत्स्य अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि सतत मत्स्य पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही विपणन व्यवस्था में सुधार और मत्स्य अवसंरचना के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है।

प्रदेश में कुल मछली उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 में 19,019 मीट्रिक टन उत्पादन के मुकाबले 2025-26 में यह बढ़कर 20,005 मीट्रिक टन हो गया है, जो इस क्षेत्र में हो रहे विकास का संकेत है।

बाबा साहब ने रखी आधुनिक भारत की नींव: डॉ. राजीव बिंदल

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर देश और प्रदेशवासियों

को बधाई देते हुए उनके योगदान को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का योगदान भारतीय समाज और लोकतंत्र के लिए अतुलनीय है और उनका बनाया संविधान आज भी देश को मजबूत दिशा दे रहा है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया, जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो के उनके संदेश को आज भी प्रासंगिक बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण में भी बाबा साहब के विचारों की झलक मिलती है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद बाबा साहब को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया और उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि परिस्थितियों के चलते बाबा साहब को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा।

डॉ. बिंदल ने कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न सम्मान भी काफी देर से मिला, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के प्रयासों से सुनिश्चित किया गया।

उन्होंने आपातकाल 1975 का उल्लेख करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल ने संविधान की मूल भावना को आघात पहुंचाया। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहब समान नागरिक संहिता के समर्थक थे, लेकिन कांग्रेस की नीतियों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।

डॉ. बिंदल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 'पंचतीर्थ' का निर्माण कर बाबा साहब को वास्तविक सम्मान दिया है। उन्होंने आहवान किया कि समाज बाबा साहब के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समानता, एकता और राष्ट्रहित के मार्ग पर आगे बढ़े।

अंत में उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचार और आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेंगे और आज के दिन हम सभी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं।

सोशल मीडिया सक्रियता से नहीं बन सकते बड़े नेता: विक्रम ठाकुर

शिमला/शैल। हिमाचल की सियासत में बयानबाजी तेज होती जा रही है। जसवां-प्रागपुर से विधायक एवं पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने लोक

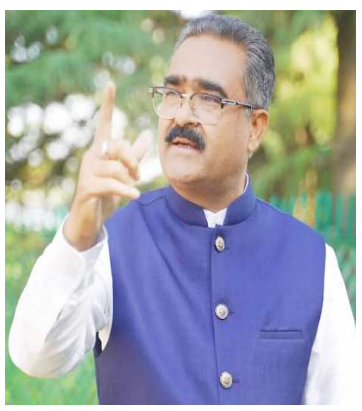

निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें फेसबुक और बयानबाजी की राजनीति से बाहर आने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर कोई बड़ा नेता नहीं बन सकता और इस तरह की राजनीति जनता को गुमराह करने का प्रयास है।

विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जैसे वरिष्ठ नेताओं पर अमर्यादित टिप्पणी करना न केवल राजनीतिक स्तर को गिराता है, बल्कि यह व्यक्तिगत हताशा को भी दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विक्रमादित्य सिंह अपनी ही पार्टी और सरकार में हाशिए पर पहुंच चुके हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयान दे रहे हैं।

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली दरबार में नंबर बनाने और हाईकमान की नजरों में आने की कोशिश में प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही चेतावनी दी कि प्रदेश की जागरूक जनता सब देख रही है और समय आने पर करारा जवाब देगी।

लोक निर्माण विभाग पर निशाना साधते हुए विक्रम ठाकुर ने कहा कि बीते साढ़े तीन वर्षों में विभाग पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की सड़कों की हालत खराब है, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मलबा तक नहीं हट पाया है और टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

विधानसभा सत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के ही चार विधायकों ने मंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जिससे उनकी कार्यक्षमता उजागर हो गई। उन्होंने कहा कि मंत्री सदन में जवाब देने के बजाय चुप्पी साधे रहे और चेंबर में बुलाने की बात करते रहे, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा, सरकारी भवनों के निर्माण कार्य ठप हैं और विभागीय अव्यवस्था चरम पर है। उनके अनुसार, लोक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार और बदइंतजामी का केंद्र बन चुका है।

विक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, वे केंद्र सरकार के सहयोग से संभव हुए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन नेताओं ने प्रदेश के विकास को प्राथमिकता दी, उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ओछी राजनीति को दर्शाता है।

अंत में उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को राहुल गांधी की नकारात्मक राजनीति से बचना चाहिए और हिमाचल की मर्यादित राजनीतिक परंपरा का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा जनता उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर भेजने में देर नहीं करेगी।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को मिलेगा 33% राजनीतिक प्रतिनिधित्व: रीना कश्यप

शिमला/शैल। भाजपा विधायक एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रीना कश्यप ने नारी शक्ति वंदन

अधिनियम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक और युगांतरकारी निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से देश की महिलाओं को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जो भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा बदलाव साबित होगा।

उन्होंने कहा कि यह केवल आरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि देश के समावेशी विकास और महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने का कदम है। उनके अनुसार, जब महिलाएं नेतृत्व में आती हैं तो शासन अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनता है।

रीना कश्यप ने कहा कि देश में लगभग 47 करोड़ महिला मतदाता हैं और कई चुनावों में महिलाओं का मतदान पुरुषों से अधिक रहा है, लेकिन इसके बावजूद संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व सीमित है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए यह अधिनियम जरूरी है।

उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन, 14.45 करोड़ घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन, 32 करोड़ से अधिक जनधन खाते और मुद्रा योजना में 60% से अधिक लाभार्थी महिलाएं शामिल हैं।

रीना कश्यप ने प्रदेश सरकार से अपील की कि इस अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं ताकि महिलाओं को नीति निर्माण में वास्तविक भागीदारी मिल सके।

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत को अधिक सशक्त, समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

प्रदेश सरकार की विफलता से देवभूमि बन रही अपराध भूमि:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और देवभूमि में अपराध तेजी से बढ़ रहा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मंडी में छात्रा की निर्मम हत्या सहित हाल की कई घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि इन घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है और आम जनता, विशेषकर बेटियों में असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में अपराध के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उनके अनुसार, इस अवधि में हत्या के लगभग 270 मामले, दुष्कर्म के 1000 से अधिक मामले, और अपहरण के करीब 1540 मामले सामने आये हैं। इसी अवधि में कुल आपराधिक मामले 5947 तक पहुंचे हैं, जो औसतन हर वर्ष 2000 से अधिक मामलों का संकेत देते हैं।

उन्होंने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण की स्थिति कमजोर हुई है और अपराधियों में कानून का भय कम हुआ है।

अनुराग ठाकुर ने हाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए ऊना गोलीकांड, सोलन फायरिंग, चिंतपूर्णी में अव्यवस्था जैसी घटनाओं पर चिंता जताई।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नाकामी के कारण आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराध प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यह सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

महंगाई से आम जनता परेशान, घर बनाना हुआ मुश्किल: डॉ राजीव सहजल

शिमला/शैल। राजीव सहजल ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई और निर्माण

सामग्री के दामों को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में महंगाई अब कांग्रेस सरकार की पहचान बन चुकी है और आम जनता के लिए घर बनाना सपना होता जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में सीमेंट के दामों में लगभग 15 रूपये प्रति बैग की बढ़ोतरी और सरिया के दामों में 20 दिनों के भीतर करीब 1000 रूपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी ने लोगों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाला है। डॉ. सहजल के अनुसार लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और अपना घर बनाने का सपना महंगा हो गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले ही बिजली, पानी, स्टांप ड्यूटी और परिवहन जैसे खर्च बढ़ चुके हैं, जिससे जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और माफिया व बिचौलियों को खुली छूट दी गई है।

राजीव सहजल ने कहा कि विकास के दावों के बीच बढ़ती महंगाई कांग्रेस सरकार का असली चेहरा उजागर कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को जनता के बीच मजबूती से उठाएगी और कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों का विरोध जारी रहेगा।

बदले की राजनीति पर हाईकोर्ट का करारा फैसला: आशीष शर्मा

शिमला/शैल। भाजपा प्रवक्ता आशीष शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय सुक्खू सरकार की 'बदले की राजनीति' पर करारा प्रहार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही विपक्ष को निशाना बनाने और पूर्व विधायकों को परेशान करने की नीति अपनाई, जिसे अब न्यायालय ने गलत ठहरा दिया है।

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा द्वारा पारित संशोधन विधेयक केवल भविष्य के लिए लागू होगा और इसे पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया है कि पूर्व विधायकों को उनकी पेंशन और बकाया राशि एक माह के भीतर जारी की जाये, अन्यथा राज्य सरकार को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

आशीष शर्मा ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि सरकार द्वारा लाया गया संशोधन राजनीतिक द्वेष से प्रेरित था और इसका उद्देश्य विपक्ष को परेशान करना था। उन्होंने आरोप लगाया कि दो वर्षों तक पूर्व विधायकों की पेंशन रोकी गई और उन्हें न्याय के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़े।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने 2024 में लाया गया संशोधन बिल वापस लिया और 2026 में नया संशोधन लाकर केवल सीमित दायरे में लागू करने की कोशिश की, जिससे सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं।

भाजपा प्रवक्ता आशीष शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार संविधान और कानून का दुरुपयोग कर रही थी, लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने के लिए नहीं बनाए जा सकते।।

उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल पूर्व विधायकों की जीत नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और कानून के शासन की जीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगी और सरकार की कथित 'बदले की राजनीति' को उजागर करेगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर प्रदेश हितों की अनदेखी का लगाया आरोप

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए उसे 'हिमाचल विरोधी' करार दिया। उन्होंने न केवल पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, बल्कि वर्तमान में केंद्र के साथ भाजपा के रुख को भी कठघरे में खड़ा किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रदेश राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) और आपदा राहत जैसे गंभीर मुद्दों पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था, तब भाजपा के नेता राज्य सरकार के साथ खड़े होने के बजाये चुप्पी साधे रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर प्रदेश के हितों की पैरवी क्यों नहीं की। उनके अनुसार, यह चुप्पी प्रदेश हितों के साथ समझौते के समान है।

उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में हिमाचल पर 76,633 करोड़ रुपये का भारी कर्ज चढ़ा। इसके साथ ही चुनावी वर्ष में करीब 5 हजार करोड़ रुपये 'रेवड़ियों' के रूप में बांटकर वित्तीय अनुशासन को कमजोर किया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि केंद्र से उस समय वर्तमान सरकार की तुलना में लगभग 60 हजार करोड़ रुपये अधिक संसाधन प्राप्त हुए, लेकिन उनका समुचित उपयोग नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगर उस धनराशि का सही इस्तेमाल होता, तो आज हिमाचल कर्ज के दलदल में नहीं फंसा होता।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी सरकार के कार्यकाल का बचाव करते हुए कहा कि पिछले 40 महीनों में 'व्यवस्था परिवर्तन' के तहत कई बड़े नीतिगत बदलाव किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के रास्तों को बंद किया गया है और प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने भाजपा पर सोशल मीडिया के जरिए 'भ्रामक प्रचार' कर सत्ता में वापसी की कोशिश करने का आरोप भी लगाया।

जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह सहायता दे रही है। इसके अलावा 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए गेहूं, मक्की और हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों की आय में इजाफा हुआ है।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हिमाचल देश में 21वें स्थान पर था, जबकि अब प्रदेश पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू कर छात्रों के लिए नए अवसर सुनिश्चित किए गए हैं।

औद्योगिक विकास के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने ऊना में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क परियोजना को 'गेम चेंजर' बताया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से केवल ऊना जिले में ही 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है और इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने पेखूबेला में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र का जिक्र किया और कहा कि ऊना को सौर ऊर्जा हब बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में आधुनिक मशीनरी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर उपचार मिल सके।

आपदा प्रबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 और 2025 में आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्य सरकार ने अपने स्तर पर 'ऐतिहासिक राहत पैकेज' जारी किए। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का कोई भी नेता केंद्र से अतिरिक्त सहायता दिलाने के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये की राहत राशि का प्रदेश अब भी इंतजार कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने आरडीजी बंद होने से प्रदेश को लगभग 50 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का मुद्दा भी उठाया और इसे प्रदेश का अधिकार बताते हुए कहा कि यह कोई 'खैरात' नहीं है।

राजनीतिक हमला जारी रखते हुए उन्होंने भाजपा में आंतरिक गुटबाजी का भी जिक्र किया और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में कई गुटों में बंटी हुई है और नेतृत्व संकट से जूझ रही है।

प्रेस वार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश में राजनीतिक माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है, और आने वाले समय में यह टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

गवाहों पर रोक की मांग खारिज राज्यसभा चुनाव विवाद में अदालत का सख्त रुख

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्यसभा चुनाव विवाद में एक अहम मोड़ लाते हुए याचिकाकर्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी की उस अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें प्रतिवादी हर्ष महाजन द्वारा पेश किये गये गवाहों की सूची में से कई नाम हटाने की मांग की गई थी। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि किसी पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार को बिना ठोस आधार के सीमित नहीं किया जा सकता और केवल आरोपों के आधार पर गवाहों को 'फालतू' या 'देरी कराने वाला' करार नहीं दिया जा सकता।

न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की पीठ के समक्ष यह मामला उस समय आया जब सिंघवी ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए दावा किया कि वोटों की बराबरी की स्थिति में नियमों का गलत प्रयोग हुआ और उन्हें विजयी घोषित किया जाना चाहिए था। इसी विवाद के बीच हर्ष महाजन ने अपने बचाव में 18 गवाहों की सूची अदालत में प्रस्तुत की, जिनमें चुनाव प्रक्रिया, मतगणना और परिणाम घोषित करने से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और प्रत्यक्षदर्शी शामिल हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि गवाहों की सूची तय समयसीमा के काफी बाद दाखिल की गई है और सूची में शामिल कई गवाह न तो आवश्यक हैं और न ही विवाद के समाधान में कोई योगदान देंगे। यह भी कहा गया कि इतने अधिक गवाहों को शामिल करना केवल मुकद्दमे को लंबा खींचने की रणनीति है। इसके उलट, प्रतिवादी पक्ष ने अदालत को बताया कि हर गवाह का उद्देश्य स्पष्ट है और वे चुनाव प्रक्रिया की वैधता, मतगणना के तरीके और कथित सहमति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। उन्होंने यह भी दलील दी कि जब याचिकाकर्ता ने वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया, तो उसे साबित करने के लिये गवाहों की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है।

अदालत ने पूरे घटनाक्रम और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता केवल सामान्य आरोप लगा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि कौन-सा गवाह किस आधार पर अप्रासंगिक या निरर्थक है। अदालत ने यह भी नोट किया कि जिन मुद्दों को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी पर है, उनके लिए वह अपनी रणनीति के अनुसार साक्ष्य पेश करने के लिए स्वतंत्र है और इस अधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप न्यायसंगत नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि गवाहों की संख्या अपने आप में यह साबित नहीं करती कि कार्यवाही में देरी की जा रही है, खासकर तब जब अधिकांश गवाह स्थानीय हैं और सीधे तौर पर मतगणना प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता ने पहले स्वयं साक्ष्य पेश न करने का निर्णय लिया था और अब प्रतिवादी के साक्ष्य पर आपत्ति उठाना न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। साथ ही, वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे साक्ष्य को पहले नकारे जाने के बाद अब उसकी प्रामाणिकता को चुनौती देना भी विरोधाभासी रुख दर्शाता है। इन परिस्थितियों में अदालत ने यह मानने से इन्कार कर दिया कि गवाहों की सूची केवल देरी करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

अंततः अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए प्रतिवादी को सभी प्रस्तावित गवाहों को पेश करने की अनुमति दे दी और स्पष्ट किया कि इस आदेश को मामले के अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखा जाएगा। अब यह मामला 20 अप्रैल 2026 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जहां गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अदालत ने दोनों पक्षों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अनावश्यक स्थगन से बचें ताकि मामले का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।